देश

उवाच

"लोकसभा की आचार समिति द्वारा महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच और फिर निष्कासन की पूरी प्रक्रिया में संसदीय और न्याय के मानदंडों की जानबूझकर घोर उपेक्षा की गई।

-दीपंकर भट्टाचार्य, भाकपा-माले के महासचिव

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	21.0	09.0
मुंबई	30.0	24.0
कोलकाता	22.0	13.0
चेन्नई	27.0	26.0

जम्मू-कश्मीर में तत्काल हों विस चुनाव : कांग्रेस

अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर आए शीर्ष अदालत के फैसले पर असहमति जताई

■ शीर्ष न्यायालय ने राज्य को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से सही ठहराया है पार्टी सम्मानपूर्वक उससे असहमति व्यक्त करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदम्बरम तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले पर असहमति जताई और कहा कि पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति का संकल्प है कि अनुच्छेद 370 तब तक सम्मान के योग्य है जब तक कि इसे भारत के संविधान के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता। चिदम्बरम ने कहा कि हम इस फैसले की इस बात से भी निराश हैं कि शीर्ष न्यायालय ने राज्य को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस ने हमेशा जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र के फैसले का विरोध कर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। हम इस

हम इस संबंध में आए शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना व लद्दाखी के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए

: पी.चिदम्बरम

संबंध में आए शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया और कहा कि राज्य में तत्काल विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। उनका कहना था कि आजादी के बाद भारत में विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय नागरिक हैं और कांग्रेस राज्य की सुरक्षा, शांति, विकास और प्रगति के लिए काम करने के अपने संकल्प को दोहराती हैं।

जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी 18 प्रतिशत

सिंघवी ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन देश के एक आम नागरिक की हैसियत से कह सकता हूं कि इस निर्णय में एक विरोधाभास है। फैसले में यह नहीं कहा गया है कि आखिर एक प्रदेश का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है जबकि दूसरी तरफ न्यायालय लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैद्य मानता है।

एक ही प्रदेश के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर कोई निर्णय नहीं देना और फिर उसी राज्य के दूसरे हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को सही बताना विरोधाभास है। यह संवैधानिक गलती दिख रही है। फैसले में एक तरफ सरकार के आश्वासन को माना गया है और दूसरी तरफ अगले सितम्बर तक चुनाव कराए जाने का निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी 18 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर आठ प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी 31 प्रतिशत जबकि महिलाओं में 51 प्रतिशत है। जम्मू-कश्मीर में विनिवेश 2021-22 में पहले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम है। वहीं दूसरी ओर महाराजा हरि सिंह के बेटे एवं कांग्रेस के विरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखा है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची है। वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन इस फैसले से जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को नाइसी होगी। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है। वह पीएम मोदी से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव हो फिर राज्य का दर्जा मिले।

फैसले से कश्मीरी नेताओं ने जताई निराशा

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने पर 'गहरी निराशा' व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए कहा कि 'संघर्ष' जारी रहेगा और वह 'लंबी लड़ाई' के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को दशकों लग गए। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। हम अनुच्छेद 370 पर बाबू पा लेंगे। एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग फैसले से खुश नहीं हैं। आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग आशान्वित थे। शीर्ष अदालत की पीठ अच्छी थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाना एक गलती थी। यह जल्दबाजी में किया गया था। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर के लोग इस फैसले से निराश हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन वह हमेशा 'हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा' बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर शीर्ष अदालत का फैसला निराशाजनक है।

शीर्ष अदालत का निर्णय जम्मू कश्मीर के लोगों की हार नहीं बल्कि देश की हार है : महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो संदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की हार नहीं बल्कि भारत देश की हार है। उन्होंने इसे आइडिया ऑफ इंडिया की हार करार दिया। उन्होंने कहा, प्यारे हमवतनों, हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद न छोड़े। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक मुश्किल पड़ाव है, पर यह मंजिल नहीं है... हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें... यह हमारी हार नहीं यह भारत देश की हार है। उन्होंने आगे कहा कि देशवासियों से कहना चाहती हूं कि आपमें से कई लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमें घरों में नजरबंद किया गया। कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर के संविधान और झंडे को छीना गया। यह बात यहां रुकने वाली नहीं है। भारतीय संविधान और तिरंगा झंडा, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई गई, भाजपा उन्हें भी छीनने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन उस वक्त हम जश्न नहीं मनाएंगे। बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करें। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहें वो सुप्रीम कोर्ट का क्यों न हों। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उम्मीद के साथ आगे बढ़ने और एकजुट होने का आह्वान किया। महबूबा मुफ्ती की बेटी एवं उनकी मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आश्चर्य नहीं है। यह फैसला संविधान को बरकरार रखने के बजाय बहुसंख्यकवादी भावना को बढ़ावा देता है।

संसद से

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जैव प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका : मांडविया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और यह उद्योग कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों की जटिल समस्याओं का समाधान खोजने का माध्यम बनेगा। डॉ.मांडविया ने सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले आठ वर्षों में आठ गुना बढ़कर 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है।

मेरे हृदय में केवल सुदेश हैं : धनखड़

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन में कहा कि उनके हृदय में केवल उनकी धर्मपत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ रहती हैं और वहां उनके अतिरिक्त किसी अन्य के लिए कोई जगह नहीं है। धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरु करने के बाद उपसभापति का पैनल पुनर्गठित करने की घोषणा की। नामों की सूची घोषित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता के नाम के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी का नाम बोल दिया, लेकिन सभापति ने सहायक स्टाफ के ध्यान दिलाने पर इस भूल को तुरंत सुधार दिया। इस पर विपक्ष के एक सदस्य ने कहा, 'जो दिल में होता है वहीं मुंह से निकल आता है। इस पर सदन में ठहाका गूंज गया। इसी बीच धनखड़ ने कहा कि शेक्सपीयर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। हमारे महाराचिव का नाम भी मोदी" है। उन्होंने कहा कि उनके दिल में केवल सुदेश धनखड़ हैं और उन्होंने पूरा स्थान घेर रखा है और उनके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है।

पीएम स्वनिधि योजना के 57 लाख लाभार्थी

सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि रेहड़ी पटरी वालों को साहूकारों से राहत दिलाने के लिए शुरू की गयी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या अभी 56.89 लाख हो गयी है जो आज रात तक 57 लाख के आंकड़े को पार कर जायेगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुये कहा कि इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल पर हर लाभार्थी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होती है।

सार संक्षेप

मोदी ने प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कौशल, बौद्धिक गहनता तथा देश सेवा में उनकी ज़बीरता को याद करते हुए सोमवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मैं प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके राजनीतिक कौशल और बौद्धिक गहराई ने हमारे देश की दिशा को ज़मीरतापूर्वक स्वरुप प्रदान किया है। उनका अभिज्ञान और नेतृत्व अमूल्य थे तथा व्यक्तिगत स्तर पर, हमारी बातचीत हमेशा समृद्ध रही। उनका समर्पण और ज्ञान प्रगति की दिशा में हमारी यात्रा के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक शक्ति बना रहेगा।

पटेल ने प्री-वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साइंस सिटी में जैव प्रौद्योगिकी पर प्री-वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन का सोमवार को शुभारंभ किया। पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्वावृद्ध रूप में आयोजित जैव प्रौद्योगिकी सेक्टर के प्री-वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन में कहा कि जैव प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ती 'टेक्नोलॉजी ऑफ होप' है।

हेमंत सोरेन को ईडी का समन

आज हाजिर होने का निर्देश

रांची, 11 दिसम्बर (एजेंसियां)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर समन भेजकर 12 दिसम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से भेजा गया यह छठा समन है। इससे पहले सोरेन को पांचवां समन भेजकर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गये थे। मुख्यमंत्री को इससे पहले 5 समन भेजे जा चुके हैं लेकिन एक बार भी वह ईडी ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि ईडी सोरेन को जमीन मामले में समन भेज रहा है। सोरेन की ओर से ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोरेन ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया था। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से भी सोरेन को झटका लगा था। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी थी।

केंद्र सरकार ने रोका मनरेगा फंड : ममता

बानरहाट, 11 दिसबर (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा एक सौ दिनों के काम के लिए सात हजार करोड़ रुपए का फंड कथित तौर पर रोके जाने पर सोमवार को कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने इस मामले पर जल्द चर्चा के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। बनर्जी ने यहां उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के एक प्रशासनिक बैठक के दौरान लोगों से कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक सौ दिन का कार्य निधि हमारा संवैधानिक अधिकार है और मैं इसके लिए अगले सप्ताह दिल्ली जा रही हूं क्योंकि मैंने पहले ही प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उनसे 18, 19 और 20 दिसम्बर में से किसी भी एक दिन उनसे मुलाकात का समय मांगा है। मुख्यमंत्री का 17 दिसम्बर को शाम को दिल्ली की उड़ान लेने का कार्यक्रम है और उम्मीद है कि बैठक में वह कई तृणमूल कांग्रेस सांसदों को प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगी।

■ मुख्यमंत्री ने फंड रोकने पर की केंद्र की आलोचना

■ अगले सप्ताह नई दिल्ली में मोदी से मिलने का समय मांगा

बिहार में अतिक्रमण की घटनाएं बर्दाश्त नहीं : नीतीश

सरकारी विद्यालय परिसर में अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश दिया

पटना, 11 दिसम्बर (एजेंसियां)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी विद्यालय परिसर में अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कुमार से सोमवार को यहां चार, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से आए उदय कुमार उज्वैन ने सरकारी विद्यालय परिसर की जमीन का असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री से मुंगेर जिला से आए अभिषेक कौशिक ने कहा कि शिक्षा विभाग में उनके पिताजी कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु हो गई। अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति में विलंब हो रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है, कृपया कर इसका समाधान निकाला जाए। कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड से आए एक ग्रामीण ने शिकायत करते हुए कहा कि अर्रा गांव के सरकारी उर्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में स्थानीय निवासियों द्वारा गंदा पानी बहाया जाता है।

जिससे स्कूल में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पठन-पाठन कार्य में असुविधा होती है। कुमार से मुजफ्फरपुर जिला से आई देवयानी भारती ने गुहार लगाते हुए कहा कि वह वर्ष 2019 में स्नातक पास कर चुकी है लेकिन अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिला है।

रामकृष्ण रेड्डी ने वाईएसआरसीपी छोड़ी

गुंटूर, 11 दिसम्बर (एजेंसियां)। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका देते हुए मंगलागिरि से विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी है और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से वाईएसआरसीपी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। 'मुझे किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना व्यापक विस अध्यक्ष के ओपरडी को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि वाइसआरसीपी छोड़ना और अपने विधायक पद से इस्तीफा देना पीड़ा दायक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ने और विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि निजी कारण क्या हैं तो उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर इसका खुलासा करेंगे।

देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का हुआ उद्घाटन

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की साझेदारी में स्थापित सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। विभिन्न विषयों के एथलीटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई यह समावेशी सुविधा, क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की जरूरतों को व्यापक रूप से पूरा करते हुए, चोट प्रबंधन, पुनर्वास, पुनर्प्रशिक्षण और प्रदर्शन में वृद्धि का केंद्र बनने के लिए तैयार है।

ICICI Home Finance

कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एलएचसी टावर, अंबेली - कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, भारत

शाखा कार्यालय : चमन लाल, इंडिया टावर, ए-26, ओल्ड-11, मेन रोड, व्यापार विहार, बिलासपुर (सी.जी.) 495001

(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहां है", जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है यहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी :

क्र. सं.	ऋण (ऋ)/सह-कर्जदार /गारंटर /मृत्यु संबंधी का नाम क्र. खाता संख्या	प्रत्याभूत क्रेडिट का विवरण, कब्जाधीन सहित, यदि कोई	बकाया राशि	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (ए)	न्यूनतम निविदा की वृद्धि एक कदम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
1.	किरण श्रीवास्तव (कर्जदार), विजय श्रीवास्तव (सह-कर्जदार), गणेश कुमार श्रीवास्तव (सह-कर्जदार), एलएचआईसीआईएच0000127/3052	फ्लैट नंबर 22, बसरा नंबर 23/4, पीपल नंबर 124/5, स्थित कोलार अन्नापुर, तहसील अमानपुर जिला रायपुर-493661	रु. 8442558/- 07-12-2023	रु. 5270962/-	रु. 5,27,097/-	18-12-2023 को पूर्व. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक
						29-12-2023 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोब टेक की वेबसाइट (बृजसारण लिंक - https://BestAuctionDeal.com) पर सम्पन्न होगी। बयाकताओं/बृहमार्पित्तों को 28-12-2023 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर लागों आय सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यवाह के अनुसार की जाएगी। संभावित बिडर (बिडरों) को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (काउन्ट ई टेंडर) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, एकई पार्क, गुंटल, यूनिट नंबर 1, निकट कपाल सीट, रायपुर - 492 001 में 28-12-2023 को अपरा पूर्व जमा करनी होगी। कृपया नोट करें कि यदि संभावित बिडर (बिडरों) अपनी ऑफर उपरिवर्णित समयानुसार जमा नहीं कर सकते हैं तो निविदा दस्तावेज की हस्तांतरित प्रति आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, एकई पार्क, भू.तल, यूनिट नंबर 1, निकट कपाल सेंटर, रायपुर - 492 001 में 28-12-2023 को अपरा पूर्व जमा कर सकते हैं। परांतरण राशि जमा हेतु विनांक द्वारा (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के 'आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड-नीलामी' के पक्ष में रायपुर में देय होना चाहिए।

निविदाएं, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड से 9820873009पर अथवा हमारे सेल्स एवं मार्केटिंग पार्टनर नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया देखें : https://www.icicihfc.com

तिथि : 12-12-2023

स्थान : रायपुर

प्राधिकृत अधिकारी

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
www.iob.in

क्षेत्रीय कार्यालय : द्वितीय तल, प्लॉट नं. 3, ग्रामीणी भवन, रामकाज मकान के सामने, भोपाल (म.प्र.)-462003
फोन: 0755- 2578202
e-mail : 22531ao@iob.in

ई-नीलामी सूचना

अचल संपत्ति की ई-नीलामी हेतु आम सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

अधः कर्जदार को साधारणतः एवं विशेष रूपसे अचल संपत्तियों के खरीदी एवं लेनदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियों इण्डियन ओवरसीज बैंक (मूलधन लेनदार) के पास बंधक के तथा प्रभार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का प्रत्यक्ष कब्जा ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक 29.12.2023 को इण्डियन ओवरसीज बैंक (मूलधन लेनदार) के कब्जाधीन राशि एवं उस पर अदायगीत ब्याज / संविदात्मक दर से देय ब्याज एवं अन्य शुल्कों तथा अन्य वैधानिक/विविध खर्चों की वसूली हेतु "जैसा है जहां है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नानुसार है। नीलामी अधोहस्ताक्षर द्वारा ई-नीलामी पोर्टलकर्ता के वेबसैटल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi पर संचालन होगी।

ऋणी एवं जमानतदार का नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड वृद्धि की राशि
रुपा. पै. नगर शाखा : अकर-12, गुलमोहोड़ कालोनी, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल चोन : 0755-2558083 E-mail:iob11159@iob.in		
उपरोक्त सभी खाते हेतु इंडियन्स जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाते का नाम : "SARFAESI SALE PARKING ACCOUNT" खाता क्रमांक : 111501130350001, Indian Overseas Bank, M P Nagar Branch Code: 1115, IFSC: IOBA0001115		
ऋणी /संचालकगणों/ जमानतदार : (1) मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज यूनिट का पता: प्लॉट नंबर 27-सी, सेक्टर-एच, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल प्रोपराइटर- श्री बृजपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह पता: बी-43 मीनाल रेसीडेंसी जे के रोड, भोपाल (म.प्र.) (2) श्री शिवपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह पता- डी-399 मीनाल रेसीडेंसी जे.के रोड भोपाल-462023 आना पता: जीटी 76, अविनाश कैपिटल रायपुर छत्तीसगढ़-492001 आना पता: सक्सान नं. जीटी 328, कैपिटल होम्स, साइट रायपुर, साइस सेंटर रोड रायपुर छत्तीसगढ़ 492001	अनुसूची-1: मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर- श्री बृज पाल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व प्लॉट नंबर 27-सी, क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर- एच, गोविंदपुरा, जगा निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.) पूर्वोत्तरी, पूर्व साइड, पश्चिम -सूनी क्षेत्र, उत्तर -लाल, दक्षिण -प्लॉट नंबर 27-बी उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अन्य उपकरण तथा सामान पंजीकृत लीज डीड दिनांक दिनांक 30.04.1993 को उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल-3 क्रमाकृत में. पृ.1/8738, रजवंदोर में. 379 के समक्ष निष्पादित की गई है। अनुसूची-2: मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर- श्री बृज पाल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व प्लॉट नंबर 27-सी का विक्रय हिस्सा, क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर- एच, गोविंदपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.) पूर्वोत्तरी, पूर्व - प्लाट नं. 27-ए, पश्चिम - प्लाट नं. 27 बी, उत्तर - प्लाट नं. 27-सी, दक्षिण - खुली भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अन्य उपकरण तथा सामान पंजीकृत लीज डीड दिनांक दिनांक 29.06.1995 को उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल-3 क्रमाकृत में. पृ.3/10608, रजवंदोर में. 921/क के समक्ष निष्पादित की गई है।	₹ 3,85,86,000/- ₹ 38,58,600/- ₹ 1,00,000/- (Including 1% TDS)
	अनुसूची-3: मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर- श्री बृज पाल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व संपत्ति क्र. 1: प्लॉट नंबर 27-सी, (प्लाट ए. 167-सी), क्षेत्रफल-4000 वर्गफीट, प्लाट ए. 167-सी क्षेत्रफल-7000 वर्गफीट, प्लाट ए. 27 एक, क्षेत्रफल-5850 वर्गफीट, प्लाट ए. 27 बी क्षेत्रफल-9100 वर्गफीट) कुल क्षेत्रफल 25850 वर्गफीट स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर- एच, गोविंदपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.) उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अन्य उपकरण तथा सामान पंजीकृत लीज डीड दिनांक दिनांक 31.03.2005 को उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल-3 क्रमाकृत में. पृ.1/1602, रजवंदोर में. 1568 के समक्ष निष्पादित की गई है। संपत्ति क्र. 2 : प्लॉट नंबर 167-बी, प्लॉट नंबर 167-सी, प्लॉट नंबर 27-एक एवं प्लॉट नंबर 27-बी के साथ भूमि, निकासा कुल क्षेत्रफल 18601 वर्गफीट है स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-एच, गोविंदपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.) चतुर्भोणाय- उत्तर में 1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167-सी, खुली भूमि, 2- प्लॉट नंबर 27-एक, 27-सी साइड, दक्षिण में- 1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167- सी- रोड, 2- प्लॉट नंबर 27-एक, 27-बी प्लॉट नंबर 169, 170 और 171-ए, पूर्व में - 1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167-सी प्लॉट नंबर 167-ए, 2- प्लॉट नंबर 27-एक, 27-बी, प्लॉट नंबर 27-सी, पश्चिम में - 1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167-सी- लाल, 2- प्लॉट नंबर 27-एक,